रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228848
CG-DL-E-10082021-228848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2021/श्रावण 18, 1943
No. 446]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2021/SRAVANA 18, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 545(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (4घ) और धारा 115कघ की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बाइसवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 21कज के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"21कझ. धारा 10 के खंड (4घ) के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की संगणना—(1) धारा 10 के खंड (4घ) के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट निधि में अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाइयों के लिए मानी जा सकने वाली आय की संगणना, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:--

धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय = A*C1+B*C2+D*F1+E*F2, जहां-

A= किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त किसी शेयर बाजार को धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत्त या संदेय है;

B= प्रतिभूतियों (भारत में स्थित किसी कंपनी के शेयरों से भिन्न) के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय;

C1= अनिवासी इकाई धारक (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक 'प्रबंध के अधीन आस्तियों' के योग को विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक कुल 'प्रबंध के अधीन आस्तियों' के योग का, धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अर्जन की तारीख से ऐसे पूंजी आस्ति के अंतरण की तारीख तक का अनुपात;

C2= अनिवासी इकाई धारक (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक 'प्रबंध के अधीन आस्तियों' के योग को विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक कुल 'प्रबंध के अधीन आस्तियों' के योग का, प्रतिभूति (भारत में स्थित किसी कंपनी में शेयरों से भिन्न) के अर्जन की तारीख से ऐसी प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक का अनुपात;

D= किसी अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय और ऐसी आय से भिन्न आय, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत न होती हो;

E= किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त कोई आय, जो 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य है; और

F1= अनिवासी इकाई धारक (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि में 'प्रबंध के अधीन आस्तियों' का किसी अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट निधि का कुल 'प्रबंध के अधीन आस्ति' से अनुपात और जहां ऐसी आय से भिन्न आय, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत न होती हो;

F2 = अनिवासी इकाई धारक (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा विनिर्दिष्ट निधि में 'प्रबंध के अधीन आस्तियों' का किसी प्रतिभूतिकरण न्यास, जो 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट निधि के कुल 'प्रबंध के अधीन आस्ति' से अनुपात ।

(2) विनिर्दिष्ट निधि में नियत तारीख को या उससे पूर्व अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में प्ररूप सं0 10झछ में छूट प्राप्त आय के किसी वार्षिक विवरण को दिया जाएगा, जिसे उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया है ।

(3) यथास्थिति, मुख्य महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) प्ररूप सं0 10झछ को भरने के लिए प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दिए गए विवरण के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, पद,--

(क) ''प्रबंध के अधीन आस्तियां'' से किसी विशिष्ट तारीख को विनिर्दिष्ट निधि की आस्तियां या निवेश के मूल्य का अंत अतिशेष अभिप्रेत है;

(ख) ''अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र'' का वह अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में है;

(ग) ''स्थायी स्थापन'' का वह अर्थ होगा, जो धारा 92च के खंड (iiiक) में है;

(घ) ''प्रतिभूति'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में है;

(ङ) ''नियत तारीख'' का वही अर्थ है, जो धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(च) ''विनिर्दिष्ट निधि'' का वही अर्थ है, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में है; और

(छ) ''इकाई'' का वही अर्थ है, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में है।

21कञ. धारा 115कघ की उपधारा (1क) के अधीन अनिवासियों द्वारा धारित इकाइयों के लिए मानी जा सकने वाली किसी विनिर्दिष्ट निधि की आय का अवधारण—(1) धारा 115कघ की उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाइयों के लिए मानी जा सकती है, धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी विनिर्दिष्ट निधि की आय की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :--

A=B*C

जहां,

A= अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाई के लिए मानी जा सकने वाली आय;

B= प्रतिभूति के अंतरण से उद्‌भूत होने वाली आय;

C= अनिवासी इकाई धारक (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक 'प्रबंध के अधीन आस्तियों' से विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक कुल 'प्रबंध के अधीन आस्तियां' के योग का, प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक का अनुपात ।

(2) धारा 115कग की उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय के रूप में किसी विनिर्दिष्ट निधि की आय, जो अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाई के लिए मानी जा सकती है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् :--

X=Y*Z

जहां,

X= अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित इकाई के लिए मानी जा सकने वाली आय;

Y= प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय ;

Z= अनिवासी इकाई धारक (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन न हो) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि में 'प्रबंध के अधीन आस्तियां' का विनिर्दिष्ट निधि के कुल 'प्रबंध के अधीन आस्ति' से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख को अनुपात ।

(3) विनिर्दिष्ट निधि में नियत तारीख को या उससे पूर्व अंकीय हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में प्ररूप सं0 10झज में रियायती आय के लिए पात्र आय का एक वार्षिक विवरण दिया जाएगा, जिसे उसमें उपदर्शित रीति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया है ।

(4) यथास्थिति, मुख्य महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) प्ररूप सं0 10झज को भरने के लिए प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दिए गए विवरण के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, पदों,-

(क) "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" से किसी विशिष्ट तारीख को आस्तियों या विनिधान के मूल्य का अंतिम अतिशेष अभिप्रेत है;

(ख) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (iiiक) में इसका है;

(ग) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में इनका है;

(घ) "देय तारीख" का वही अर्थ होगा जो धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (2) में इसका है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में इसका है; और

(च) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में इसका है ।

2. मूल नियमों में, प्ररूप 10झच के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप सं.10झछ

[नियम 21कझ का उपनियम (2) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय का विवरण

क्र. सं.				
1.	विनिर्दिष्ट निधि का नाम			
2.	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता			
3.	विधिक प्रास्थिति (कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/निगमित निकाय)			
4.	स्थायी खाता संख्यांक			
5.	समाप्त होने वाला पूर्ववर्ती वर्ष			
6.	(i)	किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	(ii)	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
7.	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि की कुल आय		(रुपए में)	

	धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त के ब्यौरे		
	विनिर्दिष्ट निधि की आय की प्रकृति	**कुल आय** (रुपए में)	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में किसी अनिवासी का कोई स्थायी स्थापन नहीं है)
8.	किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 47 के खंड (viiकख) में विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई आय और जहां ऐसे संव्यवहार का प्रतिफल, संदत्त या संदेय विदेशी विनिमय में संपरिवर्तनीय है (क)	उपाबंध 1 के भाग 1 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 1 के भाग 1 में स्तंभ (9) का कुल योग
9.	प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई आय (भारत में निवासी किसी कंपनी में शेयरों से भिन्न) (ख)	उपाबंध 1 के भाग 2 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 1 के भाग 2 में स्तंभ (9) का कुल योग
10.	किसी अनिवासी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों से आय (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) और जहां ऐसी आय अन्यथा, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है (घ)	उपाबंध 2 के भाग 1 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 2 के भाग 1 में स्तंभ (9) का कुल योग
11.	किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से आय, जो "कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है (ङ)	उपाबंध 2 के भाग 2 में स्तंभ (5) का कुल योग	उपाबंध 2 के भाग 2 में स्तंभ (9) का कुल योग
12.	**धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त कुल आय**		

घोषणा

मैं...(पूरा नाम साफ और स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी..........................घोषणा करता हूँ/करती हूँ, कि :

(i) उपरोक्त किए गए कथन और उपाबंध(धों), जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध/उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज भी हैं, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूर्ण हैं ;

(ii) निधि को अनुकल्पी विनिधान निधि प्रवर्ग 3 के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित हैं;

(iii) निधि, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;

(iv) किसी प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित यूनिटों से भिन्न, विनिर्दिष्ट निधि की सभी यूनिट अनिवासियों द्वारा धारित हैं।

मैं और यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऐसा विवरण अपनी..........................की हैसियत से (पदनाम) प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रही हूँ और मैं यह विवरण प्रस्तुत करने और यह घोषणा करने में सक्षम हूँ।

स्थान :

तारीख:

भवदीय,

हस्ताक्षर...........................

नाम.................................

पदनाम.............................

टिप्पण.-

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।
2. “प्रबंधन के अधीन आस्तियों” से किसी विशिष्ट तारीख को आस्तियों या विनिधान के मूल्य का अंतिम अतिशेष अभिप्रेत है ;
3. “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में इसका है;
4. “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण” से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;
5. “स्थायी स्थापन” का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (iiiक) में इसका है ;
6. “प्रतिभूतियों” का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में इनका है;
7. “विनिर्दिष्ट निधि” का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में इसका है ;
8. “यूनिट” का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में इसका है।
9. सभी रकम भारतीय रुपए में उल्लिखित की जाएं।

उपाबंध 1

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	अर्जन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	पूंजी अभि लाभ (रुपए में)	ऐसी पूंजी आस्ति/ प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी पूंजी आस्ति/प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक किसी अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के प्रबंधन के अधीन दैनिक आस्तियों का योग	ऐसी पूंजी आस्ति/प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी पूंजी आस्ति/प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक विनिर्दिष्ट निधि के “प्रबंधन के अधीन” दैनिक आस्तियों का योग	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों की मानी जा सकने वाली आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)/(7)	(9)= (5)* (8)

भाग 1. किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 47 के खंड (viiकख) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से आय और जहां ऐसा प्रतिफल								
कुल								
भाग 2. प्रतिभूतियों (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों से भिन्न) के अंतरण से आय								
2.								
कुल								

+ प्रतिभूतियों की संख्या की आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ें ।

उपाबंध 2

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	आय की प्रकृति	आय की प्राप्ति की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	आय (रुपए में)	आय की प्राप्ति की तारीख को अनिवासी यूनिट धारकों (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित प्रबंधन के अधीन आस्तियां	आय की प्राप्ति की तारीख को प्रबंधन की कुल आस्तियां	अनुपात	अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटों की मानी जा सकने वाली आय
भाग 1. किसी अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और जहां ऐसी आय, अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)(7)	(9) = (5)* (8)
कुल								
भाग 2. "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाख" शीर्ष के अधीन मानी जा सकने वाली किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से आय								
2.								
कुल								

+ अपेक्षित पंक्तियां जोड़ें

^ सुसंगत कोड का चयन किया जाए

1. लाभांश

2. ब्याज

3. अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप 10झज

[नियम 21कञ का उपनियम (3) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115कघ के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र किसी विनिर्दिष्ट निधि की आय का विवरण

क्र. सं.		
1.	विनिर्दिष्ट निधि का नाम	
2.	विनिर्दिष्ट निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
3.	विधिक प्रास्थिति (कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/निगमित निकाय)	
4.	स्थायी लेखा संख्यांक	
5.	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में	
6.	(i) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्या (ii) रजिस्ट्रीकरण की तारीख:	तारीख/माह/वर्ष
7.	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट निधि की कुल आय	(रुपए में)

अनिवासियों के मानी जा सकने विनिर्दिष्ट निधि की तथा धारा 115कघ के अधीन रियायती कराधान के लिए पात्र आय के ब्यौरे (रुपए में)

क्रम संख्या	विनिर्दिष्ट निधि की आय/हानि	रकम	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)
8.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 112क के अधीन @10% की दर से प्रभार्य है (ए1)	उपाबंध 1 के भाग ए1 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए1 में स्तंभ (9) का योग
9.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो (धारा 112क से भिन्न) @10% की दर से प्रभार्य है (ए2)	उपाबंध 1 के भाग ए2 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए2 में स्तंभ (9) का योग
10.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत लघु अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 111क के अधीन @15% की दर से प्रभार्य है (ए3)	उपाबंध 1 के भाग ए3 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए3 में स्तंभ (9) का योग
11.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत लघु अवधि पूंजी लाभ आय और जो @30% की दर से प्रभार्य है (ए4)	उपाबंध 1 के भाग ए4 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 1 के भाग ए4 में स्तंभ (9) का योग
12.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @10% की दर से प्रभार्य है (एक्स1)	उपाबंध 2 के भाग 11 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग 11 में स्तंभ (9) का योग
13.	धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @5% की दर से प्रभार्य है (एक्स2)	उपाबंध 2 के भाग एक्स2 में स्तंभ (5) का योग	उपाबंध 2 के भाग एक्स2 में स्तंभ (9) का योग

घोषणा

मैं, -------------------------------- (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी------------------- घोषणा करता/करती हूं कि :

(i) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से जो कुछ ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधो) के साथ लगे हुए दस्तावेज भी हैं, सही और पूर्ण हैं ;

(ii) निधि को प्रवर्ग 3 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित किया जाता है;

(iii) निधि अंतर्रराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है;

(iv) प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित यूनिटों से भिन्न, विनिर्दिष्ट निधि की सभी यूनिटें अनिवासियों द्वारा धारित हैं।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं मेरी ----------------------- (पदनाम) की हैसियत के रूप में ऐसा कथन प्रस्तुत कर रहा/रही हूं और मैं यह घोषणा करने तथा यह कथन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूं ।

स्थान :

तारीख :

भवदीय,

हस्ताक्षर --------------

नाम --------------

पदनाम --------------

टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम , 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।
2. "प्रबंधन के अधीन आस्तियां" से किसी विशिष्ट तारीख को आस्तियों के मूल्य का अंत शेष या विनिर्दिष्ट निधि के विनिधान अभिप्रेत हैं;
3. "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा जो इसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) मे हैं;
4. "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
5. "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा जो इसका धारा 92च के खंड (iiiक) में है;
6. "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो इनका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (खख) में है;
7. "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो इसका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में है;
8. "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो इसका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में है;
9. सभी रकमों का उल्लेख भारतीय रुपए में किया जाए ।

उपाबंध 1

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	अर्जन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	पूंजी लाभ (रुपए में)	प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक अनिवासी यूनिट धारकों द्वारा धारित विनिर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधन के अधीन आस्तियां' का योग (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)	प्रतिभूति के अर्जन की तारीख से ऐसी प्रतिभूति के अंतरण की तारीख तक विनिर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधन के अधीन आस्तियां' के दैनिक कुल का योग	अनुपात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)/(7)	(9) = (5)*(8)
भाग ए1. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 112क के अधीन @10% की दर से प्रभार्य है								
1.								
योग								
भाग ए2. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी लाभ आय और जो (धारा 112क से भिन्न) @10% की दर से प्रभार्य है								
2.								
योग								
भाग ए3. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत लघु अवधि पूंजी लाभ आय और जो धारा 111क के अधीन @15% की दर से प्रभार्य है								
3.								
योग								
भाग ए4. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथाउपबंधित प्रतिभूति के अन्तरण से उद्भूत लघु अवधि पूंजी लाभ आय और जो @30% की दर से प्रभार्य है								
4.								
योग								

+ प्रतिभूतियों की संख्या के आधार पर पंक्तियां जोडे ।

उपाबंध 2

क्र. सं.	प्रतिभूति का नाम	आय की प्रकृति	आय की प्राप्ति की तारीख(तारीख/मास/वर्ष)	आय (रुपए में)	आय की प्राप्ति की तारीख को अनिवासी यूनिट धारकों द्वारा धारित प्रबंधन के अधीन आस्तियां (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)	आय की प्राप्ति की तारीख को प्रबंधन के अधीन कुल आस्ति	अनुपात	अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकने वाली आय (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)/(7)	(9) = (5)*(8)
भाग एक्स 1. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @10% की दर से प्रभार्य है								
1.								
योग								
भाग एक्स 2. धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथाउपबंधित प्रतिभूतियों से आय और जो @5% की दर से (194ठघ) प्रभार्य है								
2.								
योग								

+ आवश्यकता अनुसार पंक्तियां जोडे

^ सुसंगत कोड का चयन करें

1. **लाभांश**
2. **ब्याज**
3. **अन्य आय, कृपया विनिर्दिष्ट करें"**

[अधिसूचना सं. 90/2021/ फा. सं. 370142/20/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 514 (अ), तारीख 29 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2021

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by clause (4D) of section 10 and sub-section (1A) of section 115AD, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Income tax Amendment (22nd Amendment), Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 21AH, the following rules shall be inserted, namely:—

'21AI. Computation of exempt income of specified fund for the purposes of clause (4D) of section 10.- (1). For the purpose of clause (4D) of section 10, income attributable to units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) in a specified fund shall be computed in accordance with the following formula, namely:-

Income exempt under clause (4D) of section 10= A*C1 + B*C2 +D*FI+E*F2, where

A = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund as a result of transfer of capital asset referred to in clause (viiab) of section 47 , on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange;

B = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund as a result of transfer of securities (other than shares in a company resident in India);

C1 = ratio of the aggregate of daily 'assets under management' of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the aggregate of daily total 'assets under management' of the specified fund, from the date of acquisition of the capital asset referred to in clause (viiab) of section 47 to the date of transfer of such capital asset.

C2= ratio of the aggregate of daily 'assets under management' of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the aggregate of daily total 'assets under management' of the specified fund, from the date of acquisition of the security (other than shares in a company resident in India) to the date of transfer of such security.

D = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund from securities issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India;

E = any income accrued or arisen to, or received by a specified fund from a securitisation trust which is chargeable under the head "profits and gains of business or profession"; and

F1 = ratio of the 'assets under management' in the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the total 'asset under management' of the specified fund, as on the date of receipt of such income from securities issued by a non-resident(not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India.

F2 = ratio of the ‘assets under management’ in the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the total ‘asset under management’ of the specified fund, as on the date of receipt of such income from a securitisation trust which is chargeable under the head "profits and gains of business or profession".

(2) The specified fund shall furnish an annual statement of exempt income in Form No. 10IG electronically under digital signature on or before the due date, which is duly verified in the manner indicated therein.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for filing of the Form No. 10IG and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements so furnished under this rule.

Explanation.- For the purpose of this rule, the expressions,-

(a) “assets under management” means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date;

(b) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005)

(c) “permanent establishment” shall have the same meaning as assigned to it in clause (iiia) of section 92F;

(d) "securities" shall have the meaning as assigned to it in clause (bb) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10;

(e) “due date” shall have the same meaning as assigned to it in the *Explanation* 2 to sub-section (1) of section 139;

(f) "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10; and

(g) “unit” shall have the same meaning assigned to it in clause (f) of *Explanation* to clause (4D) of section 10.

21AJ.Determination of income of a specified fund attributable to units held by non-residents under sub-section (1A) of section 115AD.- (1) For the purposes of sub-section (1A) of section 115AD, the income of a specified fund by way of short-term or long-term capital gains, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD, attributable to the units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) shall be calculated in accordance with the following formula, namely:—

A = B * C

Where,

A = income attributable to the units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India)

B = income arising from transfer of the security

C = ratio of the aggregate of daily ‘assets under management’ of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the aggregate of daily total ‘assets under management’ of the specified fund, from the date of acquisition of the security to the date of transfer of such security.

(2) For the purposes of sub-section (1A) of section 115AD, the income of a specified fund by way of income received in respect of securities, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD, attributable to the units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India) shall be calculated in accordance with the following formula, namely:—

X = Y * Z

Where,

X = income attributable to the units held by non-resident (not being the permanent establishment of a non-resident in India)

Y = income received in respect of securities

Z = ratio of the 'assets under management' in the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) to the total 'asset under management' of the specified fund, as on the date of receipt of such income.

(3) The specified fund shall furnish an annual statement of income eligible for concessional taxation in Form No 10IH electronically under digital signature on or before the due date, which is duly verified in the manner indicated therein.

(4) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for filing of the Form No. 10IH and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements so furnished under this rule.

Explanation.- For the purpose of this rule, the expressions,-

(a) "assets under management" means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date;

(b) "permanent establishment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (iiia) of section 92F;

(c) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (bb) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10;

(d) "due date" shall have the same meaning as assigned to it in the *Explanation* 2 to sub-section (1) of section 139;

(e) "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10; and

(f) "unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of *Explanation* to clause (4D) of section 10.'.

2. In the principal rules, after Form No.10IF, the following Forms shall be inserted, namely :-

"**Form No.10IG**

[See sub-rule (2) of rule 21AI]

Statement of Exempt income under clause (4D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961

S.no.			
1.	Name of the Specified Fund:		
2.	Address of the registered office of the specified fund:		
3.	Legal status [company/ trust/ limited liability partnership/ body corporate]:		
4.	Permanent Account Number:		
5.	Previous year ending:		
6.	(i)	Registration number as per the certificate of registration issued by the International Financial Services Centre Authority:	
	(ii)	Date of registration:	Dd/mm/yyyy
7.	Total Income of Specified Fund during Previous Year		(In Rs)

Details of Exempt Income under clause (4D) of section 10			
	Nature of Income of the Specified Fund	Total Income (In Rs)	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
8.	Income accrued or arisen to, or received as a result of transfer of capital asset referred to in clause (viiab) of section 47, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in convertible foreign exchange**(A)**	*Total of Column (5) in Part I of Annexure 1*	*Total of Column (9) in Part I of Annexure 1*
9.	Income accrued or arisen to, or received as a result of	*Total of*	*Total of Column (9) in Part*

	transfer of securities (other than shares in a company resident in India)**(B)**	*Column (5) in Part II of Annexure 1*	*II of Annexure 1*
10.	Income from securities issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India (**D**)	*Total of Column (5) in Part I of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part I of Annexure 2*
11.	Income from a securitisation trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession"**(E)**	*Total of Column (5) in Part II of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part II of Annexure 2*
12.	**Total Exempt Income under clause (4D) of section 10**		

Declaration

I, ______________________________ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of ______________________________ do hereby declare that:

(i) to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete;

(ii) the fund has been granted a certificate of registration as a Category III Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992;

(iii) the fund is located in an International Financial Services Centre;

(iv) all the units of the Specified Fund are held by non-residents other than units held by a sponsor or a manger.

I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as______________________________ (designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature ……………..……………….

Name…………………………………

Designation…………………………

Notes:

1. Attach a copy of the certificate of registration under Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.
2. “Assets under management” means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date.
3. "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).
4. “International Financial Services Centre Authority” means an Authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).
5. “Permanent establishment” shall have the meaning assigned to it in clause (iiia) of section 92F.
6. "Securities" shall have the meaning assigned to it in in clause (bb) of the Explanation to clause (4D) of section 10.
7. "Specified fund" shall have the same meaning assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10.
8. “Unit” shall have the same meaning assigned to it clause (f) of Explanation to clause (4D) of section 10.
9. All amount to be mentioned in Indian rupees.

Annexure 1

S. No.	Name of security	Date of acquisition (*dd/mm/yyyy*)	Date of transfer (*dd/mm/yyyy*)	Capital Gain (In Rs)	Aggregate of daily 'assets under management' of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India)from the date of acquisition of the capital asset/ security to the date of transfer of such capital asset/ security	Aggregate of daily total 'assets under management' of the specified fund, from the date of acquisition of the capital asset/security to the date of transfer of such capital asset/security.	Ratio	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) / (7)	(9) = (5) * (8)
Part I. Income from of transfer of securities referred to in clause (viiab) of section 47, on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such								
1.								
Total								
Part II. Income from Transfer of securities (other than shares in a company resident in India)								
2.								
Total								

+ add rows depending upon number of securities

Annexure 2

S. No.	Name of Security	Nature of income^	Date of receipt of income (dd/mm/yyyy)	Income (In Rs)	Assets under management held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) as on the date of receipt of income	Total 'asset under management as on the date of receipt of income.	Ratio	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)

Part I. Income from Securities issued by a non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India) and where such income otherwise does not accrue or arise in India.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)= (5)*(8)
1.								
Total								
Part II. Income from a securitisation trust which is chargeable under the head "Profits and gains of business or profession.								
2.								
Total								

+ add rows as required

^Relevant code to be selected

1. **Dividend**
2. **Interest**
3. **Other Income. Please specify**

Form No.10IH

[See sub-rule (3) of rule 21AJ]

Statement of income of a Specified fund eligible for concessional taxation under section 115AD of the Income-tax Act, 1961

S. No.			
1.	Name of the Specified Fund:		
2.	Address of the registered office of the specified fund:		
3.	Legal status [company/ trust/ limited liability partnership/ body corporate]:		
4.	Permanent Account Number:		
5.	Previous year ending:		
6.	(i)	Registration number as per the certificate of registration issued by the International Financial Services Centre Authority:	
	(ii)	Date of registration:	dd/mm/yyyy
7.	Total Income of Specified Fund during Previous Year		(In Rs)

Details of income of specified fund attributable to non-residents and eligible for concessional taxation under section 115AD (in Rs)			
S. No.	Income/ Loss of the Specified Fund	Amount	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
8.	Long Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @10% u/s 112A(**A1**)	*Total of Column (5) in Part A1 of Annexure 1*	*Total of Column (9) in Part A1 of Annexure 1*
9.	Long Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @10% (other than section 112A) (**A2**)	*Total of Column (5) in Part A2 of Annexure 1*	*Total of Column (9) in Part A2 of Annexure 1*

10.	Short Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @15% u/s 111A (**A3**)	*Total of Column (5) in Part A3 of Annexure 1*	*Total of Column (9) in Part A3 of Annexure 1*
11.	Short Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @30% (**A4**)	*Total of Column (5) in Part A4 of Annexure 1*	*Total of Column (9) in Part A4 of Annexure 1*
12.	Income from securities as provided in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @10 % (**X1**)	*Total of Column (5) in Part X1 of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part X1 of Annexure 2*
13.	Income from securities as provided in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @5% (**X2**)	*Total of Column (5) in Part X2 of Annexure 2*	*Total of Column (9) in Part X2 of Annexure 2*

Declaration

I, ____ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of _________________________________ do hereby declare that:

(i) to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s), is correct and complete;

(ii) the fund has been granted a certificate of registration as a Category III Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992;

(iii) the fund is located in an International Financial Services Centre;

(iv) all the units of the Specified Fund are held by non-residents other than units held by a sponsor or a manger.

I further declare that I am furnishing such statement in my capacity as______________________ (designation) and that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature ……………….……………….

Name………………………………….

Designation…………………………

Notes:

1. Attach a copy of the certificate of registration under Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.
2. “Assets under management” means the closing balance of the value of assets or investments of the specified fund as on a particular date.
3. "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).
4. “International Financial Services Centre Authority” means an Authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).
5. “Permanent establishment” shall have the meaning assigned to it in clause (iiia) of section 92F.
6. "Securities" shall have the meaning assigned to it in in clause (bb) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10.

7. "Specified fund" shall have the same meaning assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the Explanation to clause (4D) of section 10.
8. “Unit” shall have the same meaning assigned to it clause (f) of *Explanation* to clause (4D) of section 10.
9. All amount to be mentioned in Indian rupees.

Annexure 1

S. No.	Name of security	Date of acquisition (*dd/mm/yyyy*)	Date of transfer (*dd/mm/yyyy*)	Capital Gain (In Rs)	Aggregate of daily ‘assets under management’ of the specified fund held by non-resident unit holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India)from the date of acquisition of the security to the date of transfer of such security	Aggregate of daily total ‘assets under management’ of the specified fund, from the date of acquisition of the security to the date of transfer of such security.	Ratio	Income attributable to units held by non-resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)/(7)	(9) = (5)*(8)
Part A1. Long Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @10% u/s 112A								
1.								
Total								
Part A2. Long Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @10% (other than section 112A).								
2.								
Total								
Part A3.Short Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @15% u/s 111A.								
3.								
Total								
Part A4.Short Term Capital Gain income arising from transfer of securities as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 115AD and which is chargeable @30%.								
4.								
Total								

+ add rows depending upon number of securities

Annexure 2

S. No.	Name of security	Nature of income^	Date of receipt of income (dd/mm/yyyy)	Income (In Rs)	Assets under management held by non-resident unit	Total asset under management as on the	Ratio	Income attributable to units held by non-

					holders (not being the permanent establishment of a non-resident in India) as on the date of receipt of income	date of receipt of income.		resident (not being a permanent establishment of a non-resident in India)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)/(7)	(9) = (5)*(8)
Part X1. Income from Securities which is chargeable @10 % under clause (a) of sub-section (1) of section 115AD								
1.								
Total								
Part X2. Income from Securities which is chargeable @5% (194LD) under clause (a) of sub-section (1) of section 115AD								
2.								
Total								

+ add rows as required

^Relevant code to be selected

1. **Dividend**
2. **Interest**
3. **Other Income. Please specify.”.**

[Notification No. 90/2021/ F. No. 370142/20/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 514 (E) dated the 29th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.08.10 13:55:11 +05'30'